

विधान सभा सचिवालय  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
मंगलवार, 15 जुलाई, 2025/24 अषाढ़, 1947 (शक)

संख्या- 27

विषय:- सरोगेसी (नियमन) अधिनियमन 2021 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी बोर्ड में दिल्ली विधान सभा की तीन महिला सदस्यों का नामांकन

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा ने सरोगेसी (नियमन) अधिनियमन 2021 की धारा 26, 27(ई) एवं 28(1)(ए) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी बोर्ड में दिल्ली विधान सभा की निम्नलिखित तीन महिला सदस्यों का सहर्ष नामांकन किया है:-

1. श्रीमती शिखा रॉय
2. श्रीमती पूनम शर्मा
3. श्रीमती नीलम पहलवान

रंजीत सिंह  
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
BULLETIN PART-II**

(General Information regarding Legislative and Other matters)

**Tuesday, 15 July 2025/ 24, Ashadh, 1947 (Shaka)**

**No. 27**

**Sub: Nomination of three (03) Women Members of Delhi Legislative Assembly to the Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board for GNCT of Delhi.**

Hon'ble Members are hereby informed that the Hon'ble Speaker is pleased to nominate the following three (03) Women Members of Delhi Legislative Assembly to the Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board under the provisions of Section 26, 27(e) and 28 (1)(a) of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021:-

1. Smt. Shikha Roy
2. Smt. Poonam Sharma
3. Smt. Neelam Pahalwan

**Ranjeet Singh  
Secretary**